छत्तीसगढ़ शासन
संसदीय कार्य विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक/291/एफ–2 (3)/2014/48/सं.का. रायपुर, दिनांक – 26/2/2014

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,
रायपुर

विषय :– माननीय विधायकों को वाहन कय पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान ।

.. 00 ..

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा के माननीय सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में विधायिकी कार्य के लिये जीप/कार कय करने हेतु स्टेट बैंक आफ इंडिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंकों से रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख) तक की सीमा तक ऋण ले सकेंगे जिस पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन शासन द्वारा ब्याज अनुदान दिया जावेगा :–

1. संबंधित बैंक ऋण देने के संबंध में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करेंगे तथा दिए गए ऋण पर प्रचलित दर पर ब्याज ले सकेंगे ।

2. बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथमतः 3 प्रतिशत् तक की राशि विधायक द्वारा वहन की जाएगी तथा शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी ।

3. माननीय सदस्यों को शासकीय बैंकों के अतिरिक्त सहकारी बैंकों से वाहन कय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करने की सहमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि किश्तों के भुगतान में चूक के कारण लगाये गये किसी भी प्रकार के दाण्डिक ब्याज/शुल्क का भुगतान शासन द्वारा नहीं किया जायेगा ।

4. ऋण पर ब्याज अनुदान चतुर्थ विधान सभा की अवधि अथवा ऋण लेने वाले विधायक के कार्यकाल की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक दिया जा सकेगा । समय सीमा के बाद की किसी अवधि के लिए ब्याज अनुदान नहीं दिया जा सकेगा ।

5. पूर्व में वाहन कय हेतु लिए गए ऋण के भुगतान में व्यतिकम की स्थिति में नया ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

6. समय सीमा के बाद की अवधि के लिए भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी विधायक की होगी ।

7. विधायक जमा की गई किश्त एवं ब्याज अनुदान का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त कर विधान सभा सचिवालय को देंगे जिसके आधार पर ब्याज अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार संबंधित विधायक को की जाएगी ।

6372
03.03.14

.. 02

8. यह सुविधा चतुर्थ विधान सभा के गठन के दिनांक अर्थात् 11.12.2013 से लागू होकर इसके कार्यकाल की समाप्ति तक होगी तथा ऋण पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने की पात्रता केवल एक बार होगी ।

2/ इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 28–2011–संसद/राज्य/संघ क्षेत्र/विधान मण्डल (02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल (101) विधान सभा–14, आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान शीर्ष में विकलनीय होगा ।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक 47/2013––57–00004/वित्त विभाग/ब–3 /2014, दिनांक 18.02.2014 द्वारा प्रदान की गई ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही. के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग

पृ.क./292/एफ–2 (3)/2014/48/सं.का. रायपुर, दिनांक –26/2/2014

प्रतिलिपि :–

1/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके यू.ओ. कमांक 47/2013––57–00004/वित्त विभाग/ब–3/2014, दिनांक 18.02.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
2/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
3/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
4/ समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक, छत्तीसगढ़,
5/ समस्त कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छत्तीसगढ़,
6/ विशेष सहायक, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(व्ही. के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग